

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न० राजस्व प्रकरण 90/2023

प्रार्थी :- मैसर्स शेखावटी स्टोन केसर प्राईवेट, लिमिटेड जरिये डायरेक्ट खेतसिंह पुत्र श्री मोडसिंह जाति राजपूत निवासी रूपादेवी दूधवा, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्राधीगण :-

1. कालूराम पुत्र नाथूराम ,
2. गंगादेवी पत्नीशैतानसिंह
3. चेतनराम पुत्र पुराराम
4. झुमर पत्नी हरीराम
5. पदमाराम पुत्र हरीराम सभी जातियान सांसी, निवासी सोढो की ढाणी तह० पचपदरा, जिला बाडमेर
6. बच्चीबेन राठौड पुत्री हरीराम संजय भाई राठौड, जाति सांसी निवासी अहमदाबाद (गुजरात)
7. भीखाराम पुत्र शैतानराम नाबालिंग जरिये कुदरती वली माता गंगादेवी बेवा शैतानराम जाति सांसी निवासी सोढो की ढाणी तह० पचपदरा जिला बाडमेर ।
8. मनीषा पुत्री शैतानराम नाबालिंग जरिये कुदरती वली माता गंगोदेवी बेवा शैतानराम जाति सांसी निवासी सोढो की ढाणी तह० पचपदरा, जिला बाडमेर ।
9. मोहनराम पुत्र शैतानराम नाबालिंग जरिये कुदरती वली माता गंगादेवी बेवा शैतानराम जाति सांसी निवासी सोढो की ढाणी
10. ललिता पुत्री शैतानराम नाबालिंग जरिये कुदरती वली माता गंगादेवी बेवा शैतानराम जाति सांसी निवासी सोढो की ढाणी
11. राजूराम पुत्र हरीराम जाति सांसी निवासी सोढो की ढाणी
12. सोहनलाल पुत्र हरीराम जाति सांसी निवासी सोढो की ढाणी
13. खरताराम पुत्र भीखाराम जाति मेगवाल निवासी बागुण्डी तह० पचपदरा जिला बाडमेर ।
14. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बाडमेर ।




प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा०भू रा० अधि० बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :-

1. श्री ओमप्रकाश डावी, प्रार्थी अधिवक्ता
2. विप्राधी संख्या 1 से 14 एक पक्षीय

'आदेश'

दिनांक :- 12.6.2023


12.6.2023
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

(2)

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत सरहद ग्राम सोढो की ढाणी, पटवार हल्का गोल सोढा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दुधवा, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 280/246 रकबा 1.6915 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 279/246 रकबा 4.8563 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा कशत चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 से 14 के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी असालतन या वकालतन हाजिर नही होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गया। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम सोढो की ढाणी, पटवार हल्का गोल सोढा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दुधवा, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 280/246 रकबा 1.6915 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 279/246 रकबा 4.8563 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काशत चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में

तनाजा रहता है, इस कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सोढो की ढाणी, पटवार हल्का गोल सोढा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दुधवा, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 280/246 रकबा 1.6915 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 279/246 रकबा 4.8563 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।




[Handwritten Signature]
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा


(3)

हमने वकील प्रार्थी वकील की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात सीमाज्ञान फर्द का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम सोढो की ढाणी, पटवार हल्का गोल सोढा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दुधवा, तहसील पचपदरा में खसरा संख्या 280/246 रकबा 1.6915 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 279/246 रकबा 4.8563 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत् 2079-2082 व नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्ड्ड खातेदार है, और रिकार्ड्ड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है। विप्रार्थीगण को बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए हैं, ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम सोढो की ढाणी, पटवार हल्का गोल सोढा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दुधवा, तहसील पचपदरा में खसरा संख्या 280/246 रकबा 1.6915 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 279/246 रकबा 4.8563 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 1500/- प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद प्राप्त कर सकते हैं पालना रिपोर्ट पेश होने पर तामिल मिसल हो।




उप खण्ड अधिकारी
(विवेक व्यास)
(S.D.O.) बालोतरा
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आज दिनांक 12.06.2023 को आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा
बालोतरा